

22
21/5/15 वकील बाबी एका समं लादी मानुपरिचित। उर्दे वर

वर कर अदालत उठे तक आवेजे लजाई जाई परबु अदालत
उठे तक कोई अदालत उपस्थित नही भाया अतः वाद पत्र अदम
पैरवी अदम हाजिरी मे खा रिज किया जाता है पत्राफली फैलल
शुमार होकर नम्बर से कम ही। बाद दफतर दाखिल है।

De
अधिकारी
(अध्यापक)

